



सुनहरा अवसर

शहर सीवाना (भीमगौड़ा) आवासीय योजना जिला बाडमेर में विभिन्न आय वर्ग के निर्मित आवास को खुली बिक्री योजना 2015 के द्वारा "जहाँ है जैसी स्थिति में" वर्तमान लागत में 15 प्रतिशत छूट के साथ नकद भुगतान पद्धति में प्राप्त करने का सुनहरा अवसर।

योजना की प्रारम्भ तिथि 15 अप्रैल 2015

आवासों का विवरण

योजना की अंतिम तिथि 15 जून 2015

क्र स	आय वर्ग	मकान संख्या	भूखण्ड का माप	लागत (15 % छूट के पश्चात)
1	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	1/28 से 1/37= 10 1/40 से 1/53= 14 1/55 से 1/63= 09 1/65 से 1/84= 20 1/85 से 1/89= 05 2/60 से 2/147= 88 कुल 146 मकान	4.60 X 9.75 मीटर	1,52,500/- एवं अतिरिक्त चार्जज नियमानुसार।
2	अल्प आय वर्ग	2/1 से 2/42 = 42 2/50 से 2/59 = 10 कुल 52 मकान	5.25 X 11.25 मीटर	2,54,500/- एवं अतिरिक्त चार्जज नियमानुसार।
3	मध्यम आय वर्ग (अ) (ढांचा निर्मित)	1/12 से 1/26 = 15 कुल 15 मकान	7.00 X 15.00 मीटर	4,74,500/- एवं अतिरिक्त चार्जज नियमानुसार।
4	मध्यम आय वर्ग (ब) (ढांचा निर्मित)	1/1 से 1/10 = 10 कुल 10 मकान	10.00 X 18.00 मीटर	8,70,900/- एवं अतिरिक्त चार्जज नियमानुसार।

आवेदन पुस्तिका शुल्क रुपये 300/-

आवंटन प्रक्रिया एवं विशेष बिन्दु

1. इस योजना के आवेदन फार्म कार्यालय आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड द्वितीय, सेक्टर 4 कुडी भगतासनी योजना जोधपुर में रुपये 300/- नकद भुगतान कर कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते हैं।
2. इस योजना में आवास आवंटन हेतु प्रत्येक कार्यदिवस में साय 4 बजे तक आवेदन कार्यालय आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड द्वितीय, सेक्टर 4 कुडी भगतासनी योजना जोधपुर में स्वीकार किये जायेंगे एवं आवासों का आवंटन उसी दिन साय 5 बजे किये जायेगा। एक आवास के लिए एक से अधिक विकल्प होने पर उपरोक्त वरीयता क्रम के आधार पर लॉटरी द्वारा उपस्थित आवेदकों के सामने आवंटन किया जायेगा।
3. प्राप्त आवेदन पत्रों के असफल आवेदक अपनी डी डी वापस प्राप्त कर सकेंगे एवं अन्य आवास के आवंटन हेतु नये आवेदन भी प्रस्तुत कर सकेंगे।
4. यह योजना नकद भुगतान पद्धति की है व आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ निम्नानुसार राशि का बैंक ड्राफ्ट राजस्थान आवासन मण्डल जोधपुर के पक्ष में देय हो बनाकर जमा करवाना होगा।

क्र स	आय वर्ग	वार्षिक आय (रुपयों में)	पंजीकरण राशि (रुपयों में)	प्रथम सीडमनी राशि	कुल देय राशि (4+5)
1	2	3	4	5	6
1	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	100000/- तक	7000/-	5000/-	12000/-
2	अल्प आय वर्ग	100001/- से 250000/- तक	15000/-	10000/-	25000/-
3	मध्य आय वर्ग (अ)	250001/- से 450000/- तक	50000/-	40000/-	90000/-
4	मध्य आय वर्ग (ब)	450001/- से 600000/- तक	80000/-	70000/-	150000/-

5. उपलब्ध आवासों की सूची व अन्य जानकारी हेतु कार्यालय आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड द्वितीय, सेक्टर 4 कुडी भगतासनी योजना जोधपुर से सम्पर्क करें।
6. उक्त आवास में जहाँ है जैसी स्थिति में आवंटित किये जायेंगे तथा आवेदक का कोई आक्षेप इस विषय में स्वीकार नहीं होगा।
7. नकद भुगतान पद्धति में आवास प्राप्त करने हेतु आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के लिए रु.12000/- तथा अल्प आय वर्ग के लिए रुपये 25000/- मध्य आय वर्ग (अ) के लिए रुपये 90000/- एवं मध्य आय वर्ग (ब) के लिए रुपये 150000/- की पंजीकरण राशि का बैंक ड्राफ्ट जो राजस्थान आवासन मण्डल जोधपुर के पक्ष में देय हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
8. नकद भुगतान पद्धति में आवंटित आवास की मांग राशि आवेदक को आवंटन पत्र जारी होने से तीन माह में जमा करानी होगी उक्त अवधि में राशि जमा नहीं करवाने पर आवंटित आवास निरस्त कर दिये जावेगा तथा जमा राशि मण्डल नियमानुसार कटौति कर शेष राशि वापस लौटा दी जावेगी।

आवेदन पुस्तिका प्राप्त करने एवं जमा कराने का स्थान

कार्यालय आवासीय अभियन्ता

राजस्थान आवास मण्डल खण्ड द्वितीय,सेक्टर 4 कुडी भगतासनी योजना, जोधपुर।

सम्पर्क नम्बर 0291-2730015, 9983652800

आवेदन से संबंधित सूचनाएं निम्न कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

परियोजना अभियन्ता (व)
आवासीय योजना बालोतरा
दूरभाष : 9610448956

आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड द्वितीय
सेक्टर 4 कुडी भगतासनी योजना, जोधपुर
दूरभाष 0291-2730015, 9983652800

उप आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल
सेक्टर 5 बाईपास रोड कुडी भगतासनी
योजना, जोधपुर।